कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)

—: *विविध आदेश* :—

क्रमांक— 51 /एक—11—1/2009 बालाघाट, दिनांक 15 अप्रैल, 2026

मैं, प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट कार्यालय कार्य विभाजन पत्रक कमांक—21/एक—11—1/09 दिनांक 05 फरवरी, 2026 में निम्नानुसार संशोधन के आदेश देता हूं, जो पीठासीन अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगाः—

01) कार्यालय कार्य विभाजन पत्रक कमांक— 21/एक—11—1/09 दिनांक 05 फरवरी, 2026 के सरल कमांक 5अ के कॉलम कमांक 2 न्यायालय का नाम (**द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वारासिवनी**) के कॉलम कमांक 3 क्षेत्राधिकार व प्रकरणों का प्रकार के अ.क. 01 के पश्चात अ.क. 02 निम्नानुसार स्थापित किया जाता हैं :—

2. सत्र न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय—समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण, अपीले, पुनरीक्षण, अन्य दांडिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।

02) कार्यालय कार्य विभाजन पत्रक कमांक— 21/एक—11—1/09 दिनांक 05 फरवरी, 2026 के सरल कमांक 7 के पश्चात 7अ निम्नानुसार स्थापित किया जाता हैं :—

7अ	**जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बैहर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बैहर**	1. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण। 2. सत्र न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय—समय पर अंतरित किये गये सत्र प्रकरण, विशेष प्रकरण, अपीले, पुनरीक्षण, अन्य दांडिक प्रकरण एवं जमानत आवेदन पत्र।

03) कार्यालय कार्य विभाजन पत्रक कमांक— 21/एक—11—1/09 दिनांक 05 फरवरी, 2026 के सरल कमांक 11 को पूर्णतः विलोपित कर उसके स्थान पर सरल कमांक 11 एवं 11अ निम्नानुसार स्थापित किया जाता हैं :—

11	**द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बालाघाट**	1. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय—समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।
11 अ	**प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट**	1. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम के तहत गठित प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड बालाघाट के सुनवायी योग्य समस्त प्रकरण।

04) कार्यालय कार्य विभाजन पत्रक कमांक– 21/एक–11–1/09 दिनांक 05 फरवरी, 2026 के सरल कमांक 12 के पश्चात 12अ एवं 12ब निम्नानुसार स्थापित किया जाता हैं :–

12 अ	**चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बालाघाट**	1. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय–समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।
12 ब	**पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बालाघाट**	1. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय–समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।

05) कार्यालय कार्य विभाजन पत्रक कमांक– 21/एक–11–1/09 दिनांक 05 फरवरी, 2026 के अत्यावश्यक सुनवाई को लेकर कार्य–व्यवस्था (**अवकाश/अनुपस्थिति पर प्रभार**) के सरल कमांक 5 को पूर्णतः विलोपित किया जाकर पुनः सरल कमांक 5, 5अ, 12अ एवं 12ब निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :–

(अवकाश/अनुपस्थिति पर प्रभार)

क	1	2	3	4
5	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बैहर	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बैहर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बैहर	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज़) बालाघाट	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट
5अ	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बैहर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बैहर	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बैहर	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज़) बालाघाट	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बालाघाट
12अ	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बालाघाट	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बालाघाट	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बालाघाट	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बालाघाट
12ब	पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बालाघाट	अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बालाघाट	तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बालाघाट	चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड, बालाघाट

06) कार्यालय कार्य विभाजन पत्रक कमांक– 21/एक–11–1/09 दिनांक 05 फरवरी, 2026 के टीप के कमांक 6 पूर्णतः विलोपित किया जाता हैं तथा पुनः कमांक 6 निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :–

6. तहसील मुख्यालय बैहर के अपर सत्र न्यायाधीश बैहर एवं अपर सत्र न्यायाधीश बैहर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बैहर के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा उपस्थित ना रहने पर उनके न्यायालयों का अत्यावश्यक कार्य जिला मुख्यालय बालाघाट में उपस्थित विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटिज) व उनकी

अनुपस्थिति में उसी क्रम में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सम्पादित किया जावेंगा तथा उक्त सभी अपर सत्र न्यायाधीशगण के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा उपस्थित ना रहने पर तहसील मुख्यालय वारासिवनी में उपस्थित वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सम्पादित किया जावेंगा।

हस्ता0/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालाघाट

पृष्ठांकन क्रमांक 590 /एक–11–1/2009, बालाघाट, दिनांक 15 अप्रैल, 2026

प्रतिलिपि :–

01. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
02. रजिस्ट्रार (जिला स्थापना), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
03. कलेक्टर, बालाघाट,
04. पुलिस अधीक्षक, बालाघाट
05. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटिज), बालाघाट
06. प्रथम/द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट/वारासिवनी
07. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बैहर
08. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वारासिवनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश वारासिवनी
09. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश बैहर के न्यायालय के अति. न्यायाधीश बैहर
10. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, बालाघाट/वारासिवनी
11. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/अष्टम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, बालाघाट
12. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, वारासिवनी
13. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, बैहर
14. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, बैहर/कटंगी/लांजी
15. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी, बालाघाट
16. स्टेनो, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
17. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
18. कार्यालय मोहर्रिर, व्यवहार न्यायालय, बालाघाट
19. कम्प्यूटर अनुभाग, बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी
20. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालाघाट